भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1607
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उप-उत्पाद उद्योगों की स्थापना

1607. श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में कृषि उपज के उप-उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष योजना बना रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) यदि हाँ, तो चीनी मिल कब तक स्थापित हो जाएगी;
(घ) क्या सरकार कृषि के उप-उत्पादों पर आधारित उक्त उद्योगों की स्थापना के लिए छूट अनुदान देने का विचार रखती है; और
(ङ) यदि हाँ, तो छूट/अनुदान का ब्यौरा क्या है और कितना प्रतिशत छूट/अनुदान दिए जाने की संभावना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) कृषि उपज के उप-उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार के अंतर्गत, मूल्य संवर्धन हेतु क्षमता सृजन करना तथा अपशिष्ट में कमी लाना है।

पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत अनिवार्य मिश्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 से 2022 तक चीनी मिलों/डिस्टिलरी के लिए विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाओं को अधिसूचित किया है, ताकि देश भर में गन्ने, इसके उप-उत्पादों जैसे बी-हैवी मोलासेस और सी-हैवी मोलासेस और अनाज आधारित फीडस्टॉक पर आधारित नए इथेनॉल संयंत्रों/मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों की क्षमता का विस्तार किया जा सके।

इसके अलावा, केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में चीनी मिल स्थापित नहीं करती है। इसके अलावा, 31 अगस्त, 1998 के प्रेस नोट के अनुसार, चीनी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद, कोई भी उद्यमी समय-समय पर संशोधित गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 6क से 6ड. में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में चीनी मिल स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

*****